

दिनांक 09.08.2022

प्रेस नोट

थाना रहरा पुलिस द्वारा जिलाबदर अपराधी अवैध चाकू सहित गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांग्हे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ल अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर के निकट पर्यवेक्षण में थाना रहरा पुलिस पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्त अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:- अवगत कराना है कि आज दिनांक 09.08.2022 को थाना रहरा द्वारा पुलिस चैकिंग/गश्त के दौरान ग्राम बांसका कला से ग्राम गंगावर जाने वाले रास्ते पर मैथा फैक्ट्री के पास से जिलाबदर होने के उपरान्त भी माननीय न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक जिलाबदर अपराधी लुकमान पुत्र इसरार निवासी ग्राम बासका कला थाना रहरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रहरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. लुकमान पुत्र इसरार निवासी ग्राम बासका कला थाना रहरा जनपद अमरोहा ।



अपराधिक इतिहास अभियुक्त लुकमान:-

1. मु0अ0स0 234/2008 धारा 354,323,504,506 भादवि थाना आदमपुर ।
2. मु0अ0स0 1188/2008 धारा 110 जी थाना आदमपुर ।
3. मु0अ0स0 1581/2009 धारा 147,148,,323,427 भादवि थाना आदमपुर ।
4. मु0अ0स0 373A/12 धारा 323,504,506 भादवि थाना आदमपुर ।
5. मु0अ0स0 279/2018 धारा 406,506,504 भादवि थाना आदमपुर ।
6. मु0अ0स0 66/2020 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट थाना रहरा ।
7. मु0अ0स0 68/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रहरा ।
8. मु0अ0स0 10/2021 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना रहरा ।
9. मु0अ0स0 214/2022 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 थाना रहरा ।
10. मु0अ0स0 215/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रहरा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सत्यदेव सिंह पाठक थाना रहरा जनपद अमरोहा ।
2. का0 524 मदन चौहान थाना रहरा जनपद अमरोहा ।
3. का0 559 बबलू कुमार थाना रहरा जनपद अमरोहा ।

PRO CELL AMROHA